मॉड्यूल
3

विद्यालयों में पूर्व-व्यावसायिक शिक्षा

UN80MD03

इस मॉड्यूल को भारत में कार्य आधारित शिक्षा के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, कौशल विकास के वर्तमान परिदृश्य एवं विद्यालयी व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम को व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करने के लिए विकसित किया गया है। परिचयात्मक सत्र का प्रारंभ, प्राचीन शिक्षा प्रणाली से होता है। यह मॉड्यूल कार्य आधारित शिक्षा के महत्व पर महान दार्शनिकों, विचारकों तथा स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा दिए गए विचारों का वर्णन करता है। यह स्व-रोज़गार और उत्पादकता बढ़ाने वाली शिक्षा के व्यावसायीकरण के महत्व पर जोर देता है, जिसे समय-समय पर भारत सरकार द्वारा गठित शिक्षा के विभिन्न आयोगों द्वारा बढ़ावा दिया गया था। दूसरा सत्र, अपनी प्रमुख विशेषताओं के माध्यम से भारत में कौशल विकास के उदाहरण के लिए परिदृश्य का वर्णन करता है। यह कौशल विकास योजना और कार्यक्रम के कार्यान्वयन में सरकारी-निजी भागीदारी, सामान्य शिक्षा के व्यावसायिक कौशल का एकीकरण, हितधारकों के मध्य समन्वय एवं उच्च शिक्षा के व्यावसायीकरण को समन्वित करता है। तीसरा सत्र, कक्षा 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं में व्यावसायीकरण की पूर्ववर्ती योजना के बारे में बताता है। यह प्रशिक्षुओं को विद्यालयी शिक्षा के व्यावसायीकरण के विकास और समस्याओं को समझने में मदद करेगा।

मॉड्यूल के उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के बाद विद्यार्थी सक्षम होंगे—

- भारत में कार्य आधारित शिक्षा के ऐतिहासिक दृष्टिकोणों को समझने में;
- भारत में कौशल विकास की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करने में;
- कार्य अनुभव और पूर्व-व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम के उद्देश्यों का वर्णन करने में;
- समग्र शिक्षा के तहत विद्यालयी शिक्षा के व्यावसायीकरण का वर्णन करने में।

भारत में शिक्षा का व्यावसायीकरण, कक्षा 1 से 8 तक कार्य अनुभव या सामाजिक रूप से समाज-उपयोगी उत्पादक कार्य एस.यू.पी.डब्ल्यू. (Socially Useful Productive Work, SUPW) कार्यक्रम के माध्यम से शुरू की गई कौशल आधारित गतिविधियों से साथ प्रारंभ होता है। सामान्य शैक्षणिक शिक्षा के साथ-साथ व्यवसाय आधारित व्यावसायिक शिक्षा का प्रावधान करने के लिए कक्षा 9वीं से 12वीं तक व्यावसायिक शिक्षा की शुरुआत की गई है। शिक्षा के व्यावसायीकरण का उद्देश्य दुनिया के लिए शिक्षा की प्रासंगिकता में सुधार करना या विद्यार्थियों को अधिक रोज़गारपरक बनाना है। समग्र शिक्षा (विद्यालयी शिक्षा की एकीकृत योजना) के तहत शिक्षा के व्यावसायीकरण पर चौथा सत्र कक्षा 6वीं से 8वीं तक शुरू की जाने वाली पूर्व-व्यावसायिक शिक्षा की अवधारणा तथा 9वीं से 12वीं

तक की कक्षा के लिए व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम की व्याख्या करता है। यह स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा के प्रभावी कार्यान्वयन में प्रत्येक अवयवों के महत्व की समझ विकसित करने के लिए कक्षा 9वीं से 12वीं तक विद्यालयी व्यावसायिक कार्यक्रम के विभिन्न घटकों या अवयवों का वर्णन करता है।

Module 3.indd 70 27-11-2019 14:39:05

मॉड्यूल
3

मॉड्यूल सत्र

भारत में कार्य आधारित शिक्षा पर ऐतिहासिक दृष्टिकोण

सत्र 1

भारत में आधुनिक शिक्षा व्यवस्था का संबंध वैदिक तथा गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था से रहा है। गुरुकुल व्यवस्था में विद्यार्थी, उस समय प्रचलित विषयों से संबंधित ज्ञान और व्यावसायिक कौशल तथा जीवन कौशल सीखते थे। गुरूकुल व्यवस्था में जहाँ शिक्षकों (गुरू) ने विद्यार्थियों (शिष्यों) के साथ एक अनोखे रिश्ते को बढ़ावा दिया, वहीं विद्यार्थी भी एक कठोर अनुशासन में बँध कर शिक्षकों के मार्गदर्शन में अध्ययन करता था। प्राचीन भारतीय शिक्षा केवल सैद्धांतिक नहीं थी, बल्कि जीवन और कार्य की वास्तविकताओं से संबंधित थी। विद्यार्थी केवल गृहस्थ जीवन से संबंधित निर्देश नहीं प्राप्त करते थे, बल्कि व्यावसायिक प्रशिक्षण तथा सामाजिक सेवा के माध्यम से श्रम के महत्व एवं उसकी गरिमा को जानने का पाठ भी सीखते थे। प्राचीन भारतीय शिक्षा व्यवस्था ने प्राचीन संस्कृति के संरक्षण एवं सांस्कृतिक एकता को बढ़ावा दिया तथा सामाजिक मूल्यों को भी प्रभावित किया। महान भारतीय दार्शनिक एवं विचारक, स्वामी विवेकानंद (1863–1902), रवीन्द्रनाथ टैगोर (1861–1941), अरविंद घोष (1872–1950), मोहनदास करमचंद गाँधी (1869–1948), भीमराव रामजी अंबेडकर (1891–1956) और सर्वपल्ली राधाकृष्णन, आदि ने शिक्षा व्यवस्था पर अपने विचार व्यक्त किए। विभिन्न दार्शनिकों और विचारकों के विचारों और अवधारणाओं तथा विभिन्न समितियों और आयोगों की सिफ़ारिशों ने न केवल राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था को आकार दिया, अपितु रोज़गार और राष्ट्रीय उत्पादकता को बढ़ाने में शिक्षा के व्यावसायीकरण के महत्व और आवश्यकता पर भी जोर दिया।

व्यावसायिक शिक्षा की औपचारिक प्रणाली की आवश्यकता सन् 1854 में ही महसूस की गई थी, जब लॉर्ड चार्ल्स वुड ने एक डिस्पैच तैयार किया, जिसे भारत की शिक्षा व्यवस्था में 'वुड डिस्पैच' के नाम से भी जाना जाता है और जिसको शिक्षा के "मैग्नाकार्टा" के रूप में समझा जाता है। सामान्य शिक्षा के विविधीकरण के माध्यम से व्यावसायिक शिक्षा शुरू करने की आवश्यकता की वकालत वुड डिस्पैच द्वारा की गई थी और यह सुझाव दिया गया कि व्यावसायिक स्कूलों, तकनीकी संस्थाओं तथा व्यावसायिक कॉलेजों को स्थापित करने की आवश्यकता है। भारतीय शिक्षा आयोग (1882), जिसे हंटर आयोग (1882) के रूप में भी जाना जाता है, द्वारा शिक्षा क्षेत्र में समस्याओं की जाँच की गई और सिफ़ारिश की गई कि हाईस्कूल स्तर पर दो विशिष्ट धाराएँ होनी चाहिए—प्रथम धारा, विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमों में प्रवेश परीक्षा की तैयारी के लिए तथा द्वितीय धारा, व्यावहारिक व्यवसायों हेतु तैयार करने के लिए। वुड और एबोट आयोग (1936) ने शिक्षा में मैनुअल कार्य के महत्व पर बल दिया और सुझाव दिया कि—

Module 3.indd 71 27-11-2019 14:39:06

1. विभिन्न व्यावसायिक क्षेत्रों की आवश्यकताओं के अनुसार व्यावसायिक शिक्षा का आयोजन हो और किसी भी व्यावसायिक क्षेत्र के महत्व को कम नहीं आँका जाना चाहिए।
2. व्यावसायिक शिक्षा को साहित्यिक और विज्ञान शिक्षा के समान समझा जाए और इसका मानक बढ़ाया जाना चाहिए।
3. व्यावसायिक शिक्षा को अन्य प्रकार की शिक्षा का पूरक माना जाना चाहिए।
4. छोटे उद्योगों में लगे कुशल श्रमिकों को भी उचित व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।
5. व्यावसायिक शिक्षा के लिए दो तरह के स्कूल होने चाहिए— पहला, जूनियर व्यावसायिक स्कूल तथा दूसरा, सीनियर व्यावसायिक स्कूल। 8वीं कक्षा के बाद जूनियर स्कूल में व्यावसायिक शिक्षा तीन वर्ष की होनी चाहिए। वहीं, सीनियर स्कूल में 11वीं कक्षा के बाद दो वर्ष की व्यावसायिक शिक्षा होनी चाहिए। जूनियर व्यावसायिक स्कूल को हाईस्कूल के बराबर माना जाना चाहिए और सीनियर व्यावसायिक स्कूल को इंटरमीडिएट कॉलेज के बराबर माना जाना चाहिए।
6. व्यावसायिक पाठ्यक्रम पास करने के बाद दिए जाने वाले प्रमाण-पत्र पर व्यावसायिक प्रशिक्षण की अवधि के दौरान उम्मीदवार द्वारा किए गए कार्य की योग्यता का स्पष्ट रूप से उल्लेख करना चाहिए।
7. व्यावसायिक स्कूल की स्थापना व्यावसायिक केंद्रों के पास की जानी चाहिए।
8. श्रमिकों को व्यावसायिक स्कूलों में प्रति सप्ताह ढाई दिनों का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए और उन्हें इन ढाई दिनों की पूरी मज़दूरी दी जानी चाहिए।
9. अंशकालिक स्कूलों में दिन के समय प्रशिक्षण का प्रावधान होना चाहिए।

सन् 1937 में महात्मा गाँधी नें आग्रह किया कि मैनुअल और उत्पादक कार्यों को परीक्षा में स्थान मिलना चाहिए। सन् 1938 में केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने बी.जी. खैर की अध्यक्षता में वर्धा शिक्षा योजना (महात्मा गाँधी की नयी तालीम) पर एक समिति का गठन किया। समिति ने सभी प्रांतीय सरकारों द्वारा नयी तालीम के कार्यान्वयन की सिफ़ारिश की। महात्मा गाँधी के शैक्षिक विचारों को जाकिर हुसैन समिति द्वारा व्यावहारिक रूप दिया गया और प्रारंभिक शिक्षा (बुनियादी शिक्षा) को सन् 1938 में शिक्षा के प्रारंभिक चरण के लिए राष्ट्रीय शिक्षा पैटर्न के रूप में स्वीकार किया गया।

सन् 1947 में देश को स्वतंत्रता मिलने के बाद इस बात पर बहस शुरू हुई कि देश को किस तरह की शिक्षा प्रणाली को अपनाना चाहिए, जिससे सांस्कृतिक और धार्मिक लोकाचार को महत्व दिया जा सके और साथ ही साथ राष्ट्रीय विकास के लिए विज्ञान और तकनीकी को अपनाया जा सके। भारत सरकार ने शिक्षा में सुधार हेतु सुझाव देने के लिए आयोगों की नियुक्ति भी की। मुख्यतः माध्यमिक और शिक्षक शिक्षा पर केंद्रित माध्यमिक शिक्षा आयोग (1952–53) ने माध्यमिक स्तर पर पाठ्यक्रमों के विविधीकरण को लेकर

Module 3.indd 72 27-11-2019 14:39:06

सिफ़ारिश की। इसके परिणाम स्वरूप बहुउद्देशीय (Multipurpose) स्कूलों की स्थापना हुई। इन स्कूलों में कृषि, गृह-विज्ञान, व्यवसाय और वाणिज्य, ललित कला और मानविकी के क्षेत्र में एक से अधिक व्यावहारिक पाठ्यक्रम प्रस्तावित किए गए। इसके बाद शिक्षा आयोग (1964 – 66) ने शिक्षा के पूरे क्षेत्र की व्यापक समीक्षा की और शिक्षा के सभी चरणों के लिए एक राष्ट्रीय पैटर्न का सुझाव दिया। यह भी सुझाव दिया गया कि व्यावसायिक शिक्षा के अलावा, स्कूलों में कार्य अनुभव कार्यक्रम भी आयोजित किया जाना चाहिए।

शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति आयोग (1968) ने इस स्तर पर तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा के लिए सुविधाओं को बढ़ाने को लेकर प्रकाश डाला। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् (National Council of Educational Research and Training) ने सितंबर 1976 में एक दस्तावेज *उच्च माध्यमिक शिक्षा और उसका व्यावसायीकरण* शीर्षक से प्रकाशित किया। दस्तावेज में व्यावसायिक विकल्पों में लचीलापन लाने, आर्थिक गतिविधियों के ज़िला सर्वेक्षणों के माध्यम से एक ज़िला या ज़िला समूहों में व्यावसायिक अवसरों और जनशक्ति की ज़रूरतों पर आधारित कौशल का निर्धारण और विद्यार्थियों को पाठ्यक्रमों व करियर के लिए परामर्श तथा मार्गदर्शन का प्रावधान करने को लेकर प्रकाश डाला गया। कुछ राज्यों द्वारा सन् 1976–77 में सामान्य शिक्षा संस्थानों में +2 स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम को शुरू किया गया। कार्यक्रम के तहत विभिन्न विषयों में दो साल की अवधि के व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में शिक्षा शुरू की गई थी।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986) में कहा गया कि, "प्रस्तावित शैक्षिक पुनर्गठन में व्यावसायिक शिक्षा के व्यवस्थित, सुनियोजित और कड़ाई से कार्यान्वित कार्यक्रमों की शुरुआत महत्वपूर्ण है।" स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा की शुरुआत करने की आवश्यकता पर प्रकाश डालते हुए नीति दस्तावेज में उल्लेखित किया गया कि, "व्यावसायिक शिक्षा एक पृथक धारा होगी, जिसका उद्देश्य क्रियाकलापों के लिए विभिन्न क्षेत्रों में फैले हुए व्यवसायों की पहचान करके विद्यार्थियों को तैयार करना है। इन पाठ्यक्रमों को माध्यमिक स्तर के बाद उपलब्ध कराया जाएगा, लेकिन योजना को लचीला बनाते हुए उन्हें 8वीं के बाद भी उपलब्ध कराया जा सकता है। सन् 1986 में शिक्षा नीति की अनिवार्यताओं को ठोस कार्यक्रमों में तब्दील करने के लिए एक कार्यक्रम लाया गया था। इसमें सुझाव दिया गया कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् के तहत केंद्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान का गठन किया जाना चाहिए, जो व्यावसायिक शिक्षा में अनुसंधान, विकास, निगरानी और मूल्यांकन जैसे कार्यों के लिए काम करे। शिक्षा प्रणाली के तृतीय स्तर पर व्यावसायिक विषयों में डिप्लोमा, एडवांस डिप्लोमा कार्यक्रमों और डिग्री कार्यक्रमों को पॉलिटेक्निक, संबद्ध कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के साथ-साथ विशेष संस्थानों में शुरू किया जाना चाहिए।

संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986) के *प्रोग्राम ऑफ एक्शन* (1992) में इस बात पर जोर दिया गया कि शिक्षा कार्यक्रम के व्यावसायीकरण को द्वितीयक स्तर पर सुनिश्चित

Module 3.indd 73 27-11-2019 14:39:06

करना चाहिए। विद्यार्थियों को करियर चुनने के लिए तैयार किया जाए। इसमें व्यावसायिक हितों और अभिरुचियों के विकास पर बल दिया गया, ताकि व्यावसायिक प्राथमिकताओं का आत्म-अन्वेषण किया जा सके। साथ ही उत्पादकता और काम में भागीदारी को बढ़ाया जा सके।

गतिविधि 1
समूह चर्चा

उद्देश्य

प्रतिभागियों में कार्य आधारित शिक्षा के महत्व की समझ को विकसित करना।

प्रक्रिया

- प्रत्येक समूह में तीन प्रशिक्षणार्थी हों।
- प्रत्येक समूह को कार्य आधारित शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा पर ऐतिहासिक दृष्टिकोण पर चर्चा करने हेतु कहें।
- भारत की स्वतंत्रता से पूर्व एवं पश्चात की घटनाओं, जिसके कारण व्यावसायिक शिक्षा का विकास हुआ, पर अपना ज्ञान साझा करें।

गतिविधि 2
मैं कौन हूँ?

उद्देश्य

विभिन्न व्यवसायों में कार्य करने वाले लोगों एवं उनके द्वारा किए गए कार्यों के बारे में जानना।

प्रक्रिया

- प्रशिक्षुओं को समान सदस्य संख्या के साथ दो या दो से अधिक टीमों में विभाजित किया जाए।
- प्रत्येक टीम को व्यवसायों के कुछ नाम दिए जाएँ, जैसे— राजमिस्त्री, बढ़ई, प्लंबर (नलसाज़), घरेलू उपकरणों के लिए तकनीशियन, फ्लोरीकल्चरिस्ट, माइक्रोएरिगेशन तकनीशियन, ब्यूटीशियन, माली, सौर ऊर्जा तकनीशियन आदि।
- टीम के सदस्य अलग-अलग व्यवसायों में व्यक्तियों द्वारा किए गए कार्यों को लिखेंगे।
- टीम का एक सदस्य आगे आएगा और एक कुशल व्यक्ति द्वारा किए गए कार्य या कार्यों को बताएगा।
- टीम के अन्य सदस्य व्यवसाय के बारे में अनुमान लगाएँगे। प्रत्येक सही अनुमान के लिए अंक दिए जाएँगे।
- टीम के अन्य सदस्य फिर आगे आएँगे और खेल को जारी रखेंगे।

Module 3.indd 74 27-11-2019 14:39:06

स्व-मूल्यांकन

1. व्यावसायिक शिक्षा की स्थिति को उन्नत करने के लिए वुड और एबोट आयोग (1936) द्वारा दिए गए दो प्रमुख सुझाव क्या हैं?
2. भारत की आज़ादी से पहले और बाद में आयोगों ने व्यावसायिक शिक्षा को उचित महत्व देने की आवश्यकता क्यों बतायी?

Module 3.indd 75 27-11-2019 14:39:06

मॉड्यूल
3

कौशल विकास का वर्तमान परिदृश्य

सत्र 2

भारत में युवाओं की अधिकाधिक भागीदारी द्वारा व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण को आकांक्षात्मक बनाया जा रहा है। कुशल श्रमशक्ति की माँग और आपूर्ति की विषमताओं को कम किया जा रहा है। स्कूलों, पॉलिटेक्निक, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा को मुख्यधारा से जोड़ा जा रहा है। सार्वजनिक-निजी साझेदारी के माध्यम से निजी भागीदारी को प्रोत्साहित किया जा रहा है। मूल्यांकन और प्रमाणन के माध्यम से कुशल श्रमिकों के पूर्व-ज्ञान एवं कौशल को मान्यता दी जा रही है। राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क (National Skill Qualification Framework, NSQF) के तहत विशेष प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से कौशल विकास पाठ्यक्रमों में श्रमिकों की सहभागिता को प्रोत्साहित एवं संस्थानों के माध्यम से विभिन्न प्रकार के कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों द्वारा करियर मार्ग को परिभाषित किया जा रहा है।

कौशल विकास और उद्यमिता के लिए एक व्यापक राष्ट्रीय नीति 2015 में बनायी गई। इसके साथ ही 2022 तक 400 मिलियन लोगों को प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा एक 'कौशल भारत मिशन' की स्थापना की गई थी। राज्य में कौशल विकास के लिए एक एकीकृत रणनीति बनाने और रोज़गार बढ़ाने के लिए विभिन्न राज्यों द्वारा राज्य कौशल विकास मिशन की स्थापना की गई है। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के नेतृत्व में सार्वजनिक-निजी भागीदारी, जिसे 2009 में स्थापित किया गया था, नीति नियोजन, बुनियादी ढाँचे के विकास, राष्ट्रीय उपजीविका-आधारित मानकों के विकास, प्रशिक्षण, मूल्यांकन और प्रमाणन में कौशल विकास गतिविधियों को संचालित कर रही है। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के पास भारत सरकार द्वारा चिह्नित किए जाने वाले 20 उच्च विकास क्षेत्रों में 2022 तक 150 मिलियन लोगों को प्रशिक्षित करने का उद्देश्य है। भारत में कौशल विकास परिदृश्य की प्रमुख विशेषताओं में निम्नलिखित शामिल हैं—

समन्वित कार्य और सुसंगति

भारत सरकार प्रमुख हितधारकों जैसे—केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम और क्षेत्र आधारित कौशल परिषदों की भागीदारी के साथ कौशल विकास के लिए एक समन्वित कार्य को बढ़ावा दे रही है। देश में कौशल विकास के कार्यान्वयन को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से 2014 में एक स्वतंत्र 'कौशल विकास और उद्यमिता' मंत्रालय बनाया गया। कौशल विकास और उद्यमिता के लिए एक राष्ट्रीय नीति तैयार की गयी, जिसे 15 जुलाई, 2015 को लागू किया गया, ताकि कौशल, मानक (गुणवत्ता) और स्थिरता के साथ बड़े पैमाने पर लोगों की चुनौतियों का सामना किया जा सके और विभिन्न

Module 3.indd 76 27-11-2019 14:39:06

कौशल विकास कार्यक्रमों के मध्य अधिक से अधिक सामंजस्य स्थापित किया जा सके। कौशल विकास में अवसरों और भागीदारी को बढ़ाने का नीतिगत उद्देश्य अधिक से अधिक सार्वजनिक वित्त-पोषण और संवर्धित संसाधन आवंटन तंत्र, व्यक्त मार्ग, प्रशिक्षण के प्रकारों का विविधीकरण, निजी प्रावधानों और गुणवत्ता प्रबंधन के माध्यम से पूरा किया जा रहा है।

सामान्य शिक्षा के साथ व्यावसायिक कौशल का एकीकरण

मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा सन् 2012 में एक राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा योग्यता फ्रेमवर्क का निर्माण किया गया। यह फ्रेमवर्क सामान्य शिक्षा के साथ-साथ व्यावसायिक शिक्षा को एकीकृत करने और स्कूल से काम करने या अग्रिम शिक्षा के लिए एक सुचारू परिवर्तन हेतु शिक्षार्थियों को निर्बाध मार्ग प्रदान करने के लिए शुरू किया गया था। यह *सीखने के प्रतिफल* के स्तर की एक श्रृंखला के रूप में आयोजित किया जाता है, जो 1 से 10 (तालिका 1) के स्तर से बढ़ते क्रम में व्यवस्थित है। यह स्तर सीखने की जटिलता पर निर्भर करते हैं। 1 सबसे कम जटिल है और 10 सबसे अधिक जटिल है। यह कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में डिप्लोमा (एन.एस.क्यू.एफ. स्तर 5) एडवांस डिप्लोमा और डिग्री, (एन.एस.क्यू.एफ. स्तर 6 – 10) के माध्यम से ग्रेड 9 (एन.एस.क्यू.एफ. स्तर 1) से शुरू होने वाली एक व्यापक रूपरेखा है। एन.एस.क्यू.एफ. के प्रत्येक स्तर को निम्नलिखित (तालिका 1) ज्ञान-क्षेत्र में सीखने के प्रतिफलों के विवरण के रूप में वर्णित किया गया है — (1) आवश्यक प्रक्रिया, (2) व्यावसायिक ज्ञान, (3) व्यावसायिक कौशल, (4) मुख्य कौशल, और (5) उत्तरदायित्व।

तालिका 1 — एन.एस.क्यू.एफ. स्तर का वर्णन

एन.एस.क्यू.एफ. स्तर	अपेक्षित प्रक्रिया	पेशेवर ज्ञान	पेशेवर कौशल	मूल कौशल	उत्तरदायित्व
1.	व्यक्तियों को वे प्रक्रिया शुरू करने के लिए तैयार करना, जो नियमित आधार पर आवृत्तिमूलक हैं और जिनके लिए पूर्व में अभ्यास की जरूरत नहीं होती।	सामान्य व्यापार, पारिभाषिक शब्दावली, अनुदेशात्मक शब्दों के अर्थ व समझ से परिचित होना।	नित्यचर्या और आवृत्ति, संरक्षा और सुरक्षा उपाय करना।	पढ़ना और लिखना, जोड़-घटाना, व्यक्तिगत वित्त, सामाजिक और धार्मिक विविधता, स्वच्छता और पर्यावरण से परिचित होना।	कोई उत्तरदायित्व नहीं, सदैव सतत अनुदेशों और सघन पर्यवेक्षण में काम करना।

Module 3.indd 77 27-11-2019 14:39:06

2.	व्यक्तियों को समझ का प्रयोग करके अधिक अभ्यास के साथ वह प्रक्रिया शुरू करने के लिए तैयार करना, जो नियमित आधार पर आवृत्तिमूलक हैं।	सामग्री, औजार और सीमित परिप्रेक्ष्य में अनुप्रयोग, कार्य एवं गुणवत्ता का परिप्रेक्ष्य समझता।	सीमित परिप्रेक्ष्य में प्रयोग किया गया सीमित सेवा कौशल, औजारों का चयन व अनुप्रयोग, परिवर्तियों के बगैर पेशेवर कार्यों में सहायता करना, अच्छी और बुरी गुणवत्ता में अंतर करना।	लिखित और मौखिक संदेश प्राप्त करना और उन्हें प्रेषित करना, बुनियादी अंकगणित, व्यक्तिगत वित्त, सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक विविधता, स्वच्छता और पर्यावरण की समझ।	कोई उत्तरदायित्व नहीं। अनुदेशों और सघन पर्यवेक्षण में काम करना।
3.	व्यक्ति वह कार्य कर सकता है, जिसमें सीमित कार्यकलाप ही नित्यचर्या और पूर्वानुमेय हों।	रोज़गार के व्यापार में लागू बुनियादी तथ्य, प्रक्रिया और सिद्धांत।	समुचित नियम व औजार तथा गुणवत्ता की अवधारणा का प्रयोग करते हुए प्रयोगमूलक कौशल का प्रदर्शन करना, अनुप्रयोग के सीमित क्षेत्र में नित्यचर्या और आवृत्ति होना।	न्यूनतम अपेक्षित स्पष्टता के चलते लिखित और मौखिक संप्रेषण, बुनियादी अंकगणित और बीजगणितीय सिद्धांतों का कौशल, वैयक्तिक बैंकिंग सामाजिक और बुनियादी पर्यावरण की मूलभूत समझ।	सघन पर्यवेक्षण के अंतर्गत परिभाषित सीमा के भीतर स्वयं के कार्य के कुछ उत्तरदायित्व।
4.	परिचित, पूर्वानुमेय दिनचर्या, स्पष्ट विकल्प की स्थिति में कार्य करना।	ज्ञान अथवा अध्ययन के क्षेत्र का वास्तविक ज्ञान।	समुचित नियम व औजार तथा गुणवत्ता की अवधारणा का प्रयोग करते हुए प्रयोगमूलक कौशल का प्रदर्शन करना, अनुप्रयोग के सीमित क्षेत्र में दिनचर्या और आवृत्ति होना।	अपेक्षित स्पष्टता के चलते लिखित अथवा मौखिक संप्रेषण की भाषा, बुनियादी अंकगणित और बीजगणितीय सिद्धांतों का कौशल, सामाजिक राजनीतिक और प्राकृतिक पर्यावरण की मूलभूत समझ।	स्वयं के कार्य और सीखने की जिम्मेदारी।
5.	सामान्य परिप्रेक्ष्य में प्रक्रियाओं के स्पष्ट विकल्प के चलते कार्य, जिसमें सुविकसित कौशल की ज़रूरत पड़ती है।	कार्य अथवा अध्ययन के क्षेत्र में तथ्यों, सिद्धांतों, प्रक्रियाओं और सामान्य अवधारणाओं का ज्ञान।	बुनियादी तरीके, औजारों, सामग्रियों और जानकारी का चयन करके व उसे लागू करके कार्य करने व समस्याओं का समाधान करने के लिए अपेक्षित विभिन्न संज्ञानात्मक और प्रायोगिक कौशल।	वांछित गणितीय कौशल, सामाजिक, राजनीतिक और सूचना, संचार के संग्रहण और आयोजन के थोड़े कौशल की समझ।	स्वयं के कार्य और प्रशिक्षण का उत्तरदायित्व तथा दूसरों के कार्य व प्रशिक्षण का कुछ उत्तरदायित्व।

Module 3.indd 78 27-11-2019 14:39:06

6.	व्यापक विभिन्न विशिष्ट तकनीकी कौशल की आवश्यकता, ज्ञान की स्पष्टता और मानक व मानक-भिन्न अभ्यासों सहित कार्यकलापों का व्यापक अभ्यास।	कार्य अथवा अध्ययन के क्षेत्र में बड़े परिप्रेक्ष्यों में तथ्यात्मक और सैद्धांतिक ज्ञान।	कार्य अथवा अध्ययन के क्षेत्र में विशिष्ट समस्याओं का समाधान करने के लिए अपेक्षित विभिन्न संज्ञानात्मक और प्रायोगिक कौशल।	गणितीय गणना में उचित रूप से सामाजिक, राजनीतिक की समझ, डेटा एकत्र करने में यथोचित जानकारी और तार्किक संचार।	स्वयं के कार्य और प्रशिक्षण का उत्तरदायित्व तथा दूसरों के कार्य व प्रशिक्षण का पूरा उत्तरदायित्व।
7.	परिवर्तनीय दिनचर्या और गैर-नियमित संदर्भों को शामिल करते हुए विस्तृत विशेष सैद्धांतिक और व्यावहारिक कौशल की आवश्यकता।	कार्य अथवा अध्ययन के क्षेत्र में बड़े परिप्रेक्ष्यों में तथ्यात्मक और सैद्धांतिक ज्ञान।	कार्य अथवा अध्ययन के क्षेत्र में विशिष्ट समस्याओं का समाधान करने के लिए अपेक्षित विभिन्न संज्ञानात्मक और प्रायोगिक कौशल।	अच्छा तर्कसंगत और गणितीय कौशल, सामाजिक, राजनीतिक और प्राकृतिक पर्यावरण की समझ, सूचना प्रेषण और प्रस्तुतीकरण कौशल के संग्रहण व आयोजन में अच्छा होना।	समूह के कार्य-निष्पादन एवं विकास का पूरा उत्तरदायित्व।
8.	समस्या कम करने के लिए सृजनात्मक समाधान विकसित करने हेतु व्यापक, संज्ञानात्मक, सैद्धांतिक ज्ञान व प्रायोगिक कौशल।			स्व-अध्ययन, बौद्धिक स्वतंत्रता विश्लेषणात्मक शक्ति और अच्छे संप्रेषण का प्रदर्शन। अनिश्चित परिवर्तनों वाले कार्य/अध्ययन के परिप्रेक्ष्य में प्रबंधन और पर्यवेक्षण करना, स्वयं व अन्य के विकास के लिए उत्तरदायी।	
9.	उन्नत ज्ञान और कौशल, विषय की महत्वपूर्ण समझ, नियंत्रण और नवीनता का प्रदर्शन, बड़े अनुसंधान और शोध-प्रबंधन पूरा करना।			अनिश्चित अध्ययन/कार्य स्थितियों वाले जटिल तकनीकी कार्यकलापों के लिए निर्णय लेने का उत्तरदायित्व।	
10.	अनुसंधान और अध्येतावृत्ति के जरिए ज्ञान में वास्तविक योगदान के लिए उच्च विशिष्टता प्राप्त ज्ञान और समस्या समाधान का कौशल।			कार्य/अध्ययन की अनिश्चित जटिल परिस्थितियों में महत्वपूर्ण निर्णय लेने का उत्तरदायित्व।	

राष्ट्रीय व्यवसाय मानक

क्षमता या योग्यता एक अवलोकनीय और मापनीय ज्ञान और कौशल है। कौशल मानक और मूल्यांकन व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण (Vocational Education Training) की गुणवत्ता के लिए महत्वपूर्ण हैं। देश भर में उद्योगों या नियोक्ताओं द्वारा शिक्षार्थियों को दी जाने वाली योग्यता की मान्यता कौशल मानकों और वितरण पर निर्भर करती है और

Module 3.indd 79 27-11-2019 14:39:06

इसलिए राष्ट्रीय व्यवसाय मानक * (एन.ओ.एस.) का विकास किया गया। राष्ट्रीय कौशल योग्यता समिति (एन.एस.क्यू.सी.) द्वारा अन्य एजेंसियों की जाँच और समीक्षा की जाती है और उसके बाद "राष्ट्रीय व्यवसाय मानकों" का दर्जा दिया जाता है। विभिन्न क्षेत्रों में नौकरी के लिए राष्ट्रीय व्यवसाय मानक (National Occupation Standards') एवं योग्यता पैक; राष्ट्रीय योग्यता रजिस्टर (National Qualification Register) पर उपलब्ध हैं। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चिली, डेनमार्क, जापान, मलेशिया, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे कई देशों ने व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण मानकों को विकसित करने के लिए कुछ विशिष्ट कदम उठाए हैं। इन देशों द्वारा राष्ट्रीय दृष्टिकोण और अंतर्राष्ट्रीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय मानक विकसित किये जा रहे है। एन.एस.क्यू.एफ के तहत योग्यता को गुणवत्ता और अंतर्राष्ट्रीय कार्यबल गतिशीलता सुनिश्चित करने के लिए विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त योग्यता ढाँचे से जोड़ा जा रहा है।

उच्च शिक्षा का व्यावसायीकरण

उच्च शिक्षा को कौशल उन्मुख बनाने के लिए उच्च शिक्षा स्नातकों की रोज़गार क्षमता में सुधार करना एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। इसके लिए कौशल को सामुदायिक महाविद्यालयों के साथ उच्च शिक्षा में एकीकृत किया जा रहा है। एन.एस.क्यू.एफ की पेशकश करने वाले विश्वविद्यालयों से संबद्ध डिग्री कॉलेज व्यावसायिक पाठ्यक्रम और व्यावसायिक शिक्षा में स्नातक (बी.वोक.) की डिग्री प्रदान करते हैं। ये पाठ्यक्रम क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर गतिशीलता प्रदान करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू.जी.सी.) के क्रेडिट फ्रेमवर्क अर्थात च्वाइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम (सी.बी.सी.एस.) से संरेखित या श्रेणीबद्ध किए जा रहे हैं। च्वाइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम विद्यार्थियों को निर्धारित पाठ्यक्रम (कोर, ऐच्छिक/गौण/सॉफ्ट स्किल कोर्स) में से चयन करने की सुविधा प्रदान करता है।

गतिविधि 1
वाद-विवाद

शीर्षक

स्कूली शिक्षा प्रणाली में व्यावसायिक शिक्षा की तुलना में सामान्य शिक्षा में व्यावसायिक कौशल का एकीकरण एक बेहतर विकल्प है।

उद्देश्य

प्रतिभागियों को एकीकृत व्यावसायिक शिक्षा मॉडल की समझ विकसित करने की ओर उन्मुख करना।

---

* राष्ट्रीय व्यवसाय मानक (एन.ओ.एस.) प्रदर्शन के मानकों का विवरण है जिन्हें व्यक्तिगत रूप से कार्यस्थल में कार्यों को मज़बूत अंजाम देने के साथ-साथ ज्ञान और समझ के विशेष विवरण के साथ प्राप्त करना चाहिए।

Module 3.indd 80 27-11-2019 14:39:06

प्रक्रिया

- दो समूह बनाएँ—एक सकारात्मक समूह जो विषय के समर्थन में होगा और दूसरा नकारात्मक समूह होगा, जो विषय के विपक्ष में बोलेगा।
- सकारात्मक समूह का एक सदस्य वाद-विवाद शुरू करेगा और नकारात्मक समूह के सदस्य पहले समूह के सदस्यों द्वारा दिए गए कथनों के खंडन की तैयारी करेंगे।
- दोनों समूहों के अन्य सदस्य एक-दूसरे के तर्कों का एक-एक कर खंडन प्रस्तुत करेंगे और बहस जारी रहेगी।
- निर्णायक द्वारा निष्कर्ष दिया जाएगा।

गतिविधि 2
प्रस्तुतिकरण

शीर्षक

कौशल विकास में विभिन्न एजेंसियों की भूमिका

उद्देश्य

कौशल विकास कार्यक्रमों या योजनाओं के कार्यान्वयन में विभिन्न एजेंसियों की भूमिकाओं और कार्यों को समझने के लिए प्रतिभागियों को उन्मुख करना।

प्रक्रिया

- कौशल विकास में शामिल हुए मंत्रालयों, विभिन्न संगठनों, एजेंसियों और संस्थानों की वेबसाइटों को देखना।
- मंत्रालयों, विभिन्न संगठनों, एजेंसियों तथा संस्थानों की भूमिकाओं और कार्यों पर एक प्रस्तुति बनाना और उनके द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे कौशल विकास के कार्यक्रमों और योजनाओं को देखना।

स्व-मूल्यांकन

निम्नलिखित पर संक्षिप्त नोट (80–100 शब्दों में) लिखें—

1. सामान्य शिक्षा में व्यावसायिक कौशल का एकीकरण
2. राष्ट्रीय व्यावसाय मानक
3. उच्च शिक्षा का व्यावसायीकरण

Module 3.indd 81 27-11-2019 14:39:06

मॉड्यूल
3

कार्य अनुभव और पूर्व-व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम

सत्र 3

भारतीय स्कूलों में शिक्षा के व्यावसायीकरण को अलग-अलग नामों से जाना जाता रहा है। प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों (कक्षा पहली से आठवीं) में इसे 'कार्य अनुभव' या 'सामाजिक रूप से उपयोगी और उत्पादक कार्य' के रूप में जाना जाता है, जबकि इसे कक्षा 9वीं और 10वीं में 'पूर्व-व्यावसायिक शिक्षा' कहा गया है।

कार्य अनुभव कार्यक्रम

शिक्षा आयोग (कोठारी आयोग, 1964 – 66) की रिपोर्ट में, "स्कूल में, घर में, कार्यशाला में, खेत में, कारखाने में या किसी अन्य उत्पादक स्थिति में उत्पादक कार्य में भागीदारी" के रूप में कार्य अनुभव कार्यक्रम की कल्पना की गई। यह रिपोर्ट उस कार्य अनुभव की संस्तुति करती है जिसमें उद्देश्यपूर्ण और सार्थक मानवीय कार्य शामिल हैं। अतः शिक्षा के सभी चरणों में यह एक आवश्यक घटक होना चाहिए।

शिक्षार्थियों के मन में मानवीय-कार्य, आत्मनिर्भरता, सहकारिता, दृढ़ता, मदद, कार्य-नैतिकता, व्यवहार और समुदाय के प्रति उत्पादक कार्य एवं उससे संबंधित मूल्यों के प्रति एक सम्मान का नज़रिया होना चाहिए। हालाँकि, स्कूलों में कार्य अनुभव (डब्ल्यू.ई.) या समाज उपयोगी उत्पादक कार्य (एस.यू.पी.डब्ल्यू.) एवं पूर्व-व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम का कार्यान्वयन विभिन्न कारणों से असंतोषजनक रहा है। इस असंतोष का कारण विद्यालयों की समय-सारणी में इसके लिए पर्याप्त समय का आवंटन न होना, पाठ्यक्रमों की गैर-परीक्षण योग्य प्रकृति, अपर्याप्त धन तथा प्रशिक्षित शिक्षकों एवं कच्चे माल की अनुपलब्धता रही है।

कक्षा 9वीं–10वीं में पूर्व-व्यावसायिक शिक्षा की केंद्र प्रायोजित योजना

1993 – 94 में माध्यमिक स्तर पर पूर्व-व्यावसायिक शिक्षा की एक केंद्र प्रायोजित योजना शुरू की गई थी। मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा शुरू की गई पूर्व-व्यावसायिक शिक्षा योजना के कार्यान्वयन की रणनीति तैयार करने के लिए जुलाई 1993 में आयोजित एक राष्ट्रीय बैठक में विचार-विमर्श के बाद एन.सी.ई.आर.टी. (रा.शै.अ.प्र.प.) ने *पूर्व-व्यावसायिक शिक्षा दिशानिर्देश* नामक एक दस्तावेज प्रकाशित किया था। पूर्व-व्यावसायिक शिक्षा योजना की मुख्य विशेषताएँ निम्नलिखित हैं — (1) कार्य अनुभव के बदले पूर्व-व्यावसायिक शिक्षा की पेशकश की जा सकती है। (2) प्रति सप्ताह न्यूनतम छह पीरियड की अवधि आवंटित की जाएगी। (3) यह केवल उन्हीं स्कूलों में शुरू किया जाएगा जहाँ +2 स्तर पर व्यावसायिक पाठ्यक्रम प्रस्तुत किए जा रहे हैं और इन चुने हुए पूर्व-व्यावसायिक पाठ्यक्रम के लिए नियमित बुनियादी सुविधाएँ उपलब्ध हैं। (4) निम्न माध्यमिक स्तर पर पूर्व-व्यावसायिक शिक्षा के पूरा होने के पश्चात उत्तीर्ण विद्यार्थियों को संबंधित पाठ्यक्रम में विपणन कौशल प्राप्त करना चाहिए। मूल्यांकन की योजना कार्य

Module 3.indd 82 27-11-2019 14:39:06

अनुभव के समान है। 9वीं और 10वीं कक्षाओं में मूल्यांकन कार्य स्कूलों द्वारा किया जाता है। 10वीं ग्रेड में स्कूलों द्वारा दिए गए ग्रेड को पाठ्यक्रम के शीर्षक के साथ बोर्ड के प्रमाण-पत्र में दर्शाया जाता है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के प्रावधानों और विभिन्न समितियों की संस्तुतियों के अनुसार केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (Central Board of Secondary Education, CBSE) ने शैक्षणिक-सत्र 1995–96 से प्रभावी अध्ययन योजना के तहत पूर्व-व्यावसायिक शिक्षा का प्रावधान किया। पूर्व-व्यावसायिक शिक्षा के उद्देश्य हैं — (1) कक्षा 9वीं से 12वीं के विद्यार्थियों को सरल विपणन योग्य प्रशिक्षण प्रदान करना। (2) उत्पादकता बढ़ाने के लिए व्यावसायिक रुचियों और व्यवहारों को विकसित करना और व्यावसायिक प्राथमिकताओं के हिसाब से आत्म-अन्वेषण की अनुमति देना। (3) उच्चतर माध्यमिक स्तर पर व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के चयन में विद्यार्थियों को सुविधा प्रदान करना। (4) विद्यार्थियों को अकादमिक शिक्षा के वांछित आयाम के रूप में कार्य-अनुभव में भागीदारी के लिए तैयार करना। (5) कार्य संस्कृति से संबंधित स्वस्थ मूल्यों को आत्मसात करना।

रा.शै.अ.प्र.प. ने विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों में पूर्व-व्यावसायिक मॉड्यूल विकसित किए हैं, जिसमें मधुमक्खी पालन, जैव उर्वरक, बागवानी, मशरूम की खेती, कृमि पालन, प्रारंभिक पुस्तक रख-रखाव, शुरुआती कार्यालयी अभ्यास, टंकण, इंटरनेट कैफे, विजुअल बेसिक के साथ शुरुआत, घरेलू विद्युत उपकरणों की मरम्मत और अनुरक्षण, घरेलू वायरिंग, प्लंबर का कार्य, पॉवर थ्रेशर की मरम्मत और रख-रखाव, जुताई और बुवाई के उपकरण की मरम्मत और रख-रखाव, काष्ठ-शिल्प, ब्लड बैंक संचालन, बाँस कला, बाती या बत्ती बनाना, गुड़िया बनाना, ब्रेड और खमीर संबंधित उत्पादन, फलों और सब्जियों का सूखने से बचाव करना, नमक और सिरका के उपयोग से फलों और सब्जियों का संरक्षण, सौन्दर्य प्रसाधन, सॉफ्ट टॉयज, कपड़ों का उत्पादन, रंगाई तथा काष्ठ कला आदि शामिल हैं।

माध्यमिक शिक्षा के व्यावसायीकरण पर केंद्र प्रायोजित योजना (1988)

10 साल स्कूल में सामान्य शैक्षणिक शिक्षा के साथ-साथ उत्पादक कौशल के विकास के लिए प्रावधान करने तथा उच्चतर माध्यमिक स्तर पर सामान्य शिक्षा में विकल्प के रूप में दो साल के व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम का क्रियान्वयन करने के लिए सन् 1976–77 में भारत में शिक्षा का व्यावसायीकरण शुरू किया गया था। मैल्कम एस. आदिशैया की अध्यक्षता में 1978 में समिति ने सुझाव दिया कि +2 स्तर पर व्यावसायिक स्ट्रीम के पाठ्यक्रम डिज़ाइन में निम्नलिखित का समावेश किया जाना चाहिए — (1) भाषा (कुल समय का 15 प्रतिशत) (2) सामान्य बुनियादी पाठ्यक्रम (कुल समय का 15 प्रतिशत) (3) व्यावसायिक वैकल्पिक विषय (कुल समय का 70 प्रतिशत)

माध्यमिक व्यावसायिक शिक्षा की केंद्र प्रायोजित योजना की शुरुआत फरवरी, 1988 में हुई थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य, व्यक्तिगत रोज़गार को बढ़ावा देने के लिए

Module 3.indd 83 27-11-2019 14:39:06

विविध शैक्षिक अवसर प्रदान करना तथा कुशल श्रमशक्ति की माँग और आपूर्ति के मध्य विषमताओं को कम करना है तथा उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों को कई विकल्प प्रदान करना है। इस योजना ने राज्यों को वित्तीय सहायता देने के लिए दिशानिर्देश दिए हैं, जिससे कि प्रशासनिक संरचना, व्यावसायिक क्षेत्र सर्वेक्षण, पाठ्यक्रम तैयार करने, पाठ्यपुस्तक, कार्य-पुस्तक, पाठ्यक्रम मार्गदर्शिका, प्रशिक्षण मैनुअल, शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम, अनुसंधान और विकास के लिए तकनीकी सहायता प्रणाली को मज़बूत करने, प्रशिक्षण और मूल्यांकन आदि की व्यवस्था की जा सके। इस योजना द्वारा लघु अवधि के पाठ्यक्रमों के संचालन के लिए विशिष्ट नवीन परियोजनाओं के कार्यान्वयन के दौरान गैर-सरकारी संगठनों (एन.जी.ओ.) और स्वयंसेवी संगठनों को वित्तीय सहायता भी प्रदान की गई। 1992–93 में पूरी तरह से कार्य करने वाली इस योजना के तहत +2 स्तर पर 9,000 स्कूलों में लगभग 10 लाख विद्यार्थियों के नामांकन की क्षमता तैयार की गई थी जिसमें कृषि, व्यापार और वाणिज्य, इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य और पैरामेडिकल, गृह विज्ञान और मानविकी तथा विज्ञान और शिक्षा के छह प्रमुख क्षेत्रों में व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की शुरुआत करने की सुविधाएँ दी गईं। पी.एस.एस.सी.आई.वी.ई. पर पाठ्यक्रम और पाठ्यक्रम सामग्री विकसित करने की जिम्मेदारी थी। विभिन्न समितियों/समीक्षा समूहों की सिफ़ारिशों के आधार पर योजना को संशोधित किया गया था और 2012 में माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक व्यावसायिक शिक्षा की एक केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में पुनः निर्मित किया गया था। 6,800 स्कूलों में सुचारु रूप से व्यावसायिक पाठ्यक्रम लागू करने में लगभग 25 साल लग गए और राज्यों/केंद्रशासित प्रदेश क्षेत्रों के स्कूलों में व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में केवल 5 प्रतिशत नामांकन किया जा सका। व्यावसायिक शिक्षा के कार्यान्वयन में कई बाधाएँ शामिल थीं, जैसे — नकारात्मक छवि और कम आकांक्षात्मक मूल्य, सामान्य शिक्षा के साथ एकीकरण की कमी, कौशल की माँग और आपूर्ति के बीच बेमेल, उद्योग में व्यस्तता में कमी, गुणवत्ता मानकों को पूरा करने के लिए समन्वित प्रयासों की कमी और संसाधनों के सर्वोत्तम उपयोग का अभाव, पाठ्यक्रम में रोज़गार कौशल की कमी, गुणवत्ता आश्वासन ढाँचे का अनुचित संचालन, प्रौद्योगिकी और स्वचालित उद्योग के वर्तमान एवं भविष्य के कौशल की माँगों को पूरा करने के लिए प्रशिक्षुता प्रशिक्षण को बढ़ावा देने एवं प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने पर केंद्रित करने की कमी इत्यादि।

गतिविधि 1
थिंक-पेयर-शेयर

शीर्षक

कार्य-अनुभव कार्यक्रम और पूर्व-व्यावसायिक शिक्षा।

उद्देश्य

कार्य-अनुभव कार्यक्रम के विभिन्न पहलुओं की समझ विकसित करना।

Module 3.indd 84 27-11-2019 14:39:06

प्रक्रिया

के.आर.पी. सभी प्रशिक्षुओं के लिए प्रश्न प्रस्तुत करता है, जिस पर वे एकाग्रतापूर्वक उन प्रश्नों के बारे में स्वतंत्र रूप से सोचते हैं और अपने नोट्स तैयार करते हैं। यहाँ निम्नलिखित प्रश्न शामिल किए जा सकते हैं— (1) स्कूलों में कार्य-अनुभव कार्यक्रम क्यों नहीं सफल हुआ। (2) स्कूलों में कार्य आधारित गतिविधियों की सीमाएँ क्या हैं? (3) स्कूलों में कार्य आधारित शिक्षा को बढ़ावा क्यों दिया जाना चाहिए? (4) विद्यालयों में गतिविधि आधारित शिक्षण कैसे उपयोगी होगा? (5) कार्य-अनुभव कार्यक्रम पूर्व-व्यावसायिक शिक्षा से कैसे भिन्न होता है?

10 मिनट के बाद विशेषज्ञ, प्रशिक्षुओं को किसी पास के या नियुक्त किए गए प्रशिक्षु के साथ जोड़ी बनाने और उसके द्वारा दिए जाने वाले उत्तरों की प्रतिक्रिया पर एक आम सहमति उत्पन्न करने के लिए कहता है।

प्रशिक्षुओं द्वारा जोड़े में चर्चा किए जाने के बाद, विशेषज्ञ उस जोड़े को कक्षा के साथ भी अपनी प्रतिक्रिया साझा करने के लिए कहता है।

स्व-मूल्यांकन

निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी (80 – 100 शब्दों में) लिखें—

1. स्कूल में कार्य अनुभव कार्यक्रम।
2. पूर्व-व्यावसायिक शिक्षा।
3. शिक्षा का व्यावसायीकरण।

Module 3.indd 85 27-11-2019 14:39:07

मॉड्यूल
3

समग्र शिक्षा के तहत शिक्षा का व्यावसायीकरण

सत्र 4

कौशल विकास और उद्यमिता 2015 में राष्ट्रीय नीति ने अगले 5 वर्षों में 25 प्रतिशत स्कूलों में ग्रेड 9वीं से औपचारिक शिक्षा के साथ कौशल को भी एकीकृत करने का लक्ष्य रखा है। सभी औपचारिक और गैर-औपचारिक कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों को दिसंबर 2018 से एन.एस.क्यू.एफ. द्वारा संरेखित करना होगा। विद्यालयी शिक्षा में नीतिगत अनिवार्यता को महसूस करते हुए माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्तर पर अपनाए गए कौशल विकास में निम्नलिखित मुख्य बाधाएँ और कार्यनीतियाँ शामिल हैं—

(1) अकादमिक और व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रम का एकीकरण।

(2) आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों में कौशल माँगों के हिसाब से पाठ्यक्रम प्रस्तुत करना।

(3) रोज़गार और क्षमता के साथ योग्यता को जोड़ने के लिए लचीला पाठ्यक्रम लागू करना।

(4) सक्षम शिक्षक और प्रशिक्षक तैयार करना।

(5) क्षमता आधारित शिक्षा का मूल्यांकन

(6) गुणवत्ता का आश्वासन।

इससे अभिप्राय यह है कि विद्यार्थियों को उपलब्ध कराए गए व्यावसायिक विषयों में व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण का कोई जटिल कार्यक्रम शामिल न हो।

समग्र शिक्षा के अंतर्गत 6वीं से 8वीं कक्षा तक पूर्व-व्यावसायिक शिक्षा

व्यावसायिक शिक्षा को विज्ञान, भाषा, सामाजिक विज्ञान आदि सामान्य शैक्षणिक विषयों के साथ कौशल आधारित गतिविधियों से जोड़ने के लिए समग्र शिक्षा के तहत कक्षा 6वीं से 8वीं तक की पूर्व-व्यावसायिक शिक्षा के रूप में परिकल्पना की जा रही है। यह व्यावसायिक शिक्षा बच्चों को काम की दुनिया में विभिन्न उत्पादक कार्यों के लिए बुनियादी कौशल आवश्यकताओं का अन्वेषण करने में उपयोगी होगी। इस तरह कार्य आधारित गतिविधियों के पीछे अंतर्निहित विचार उन्हें कक्षा 6वीं से 8वीं तक की शिक्षा में उपलब्ध योजना के अतिरिक्त बोझ के बजाय शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया के एक अभिन्न अंग के रूप में बनाना है। यह न केवल पुस्तकीय ज्ञान और सैद्धांतिक ज्ञान के मध्य की सीमाओं को कम करेगा, वरन बच्चों के कार्य क्षेत्रों में कौशल की आवश्यकताओं को भी उजागर करेगा। इस प्रकार उन्हें भविष्य में करियर का रास्ता तय करने में सहायता मिलेगी। ये बहु-कौशल गतिविधियाँ, अन्य बातों के साथ-साथ, सरल कौशलों के विकास जैसे— सौंदर्य मूल्य, सहयोग, टीमवर्क, कच्चे माल का विवेकपूर्ण उपयोग, रचनात्मकता, गुणवत्ता चेतना आदि को भी प्रोत्साहन देंगी। व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त कर रहे विद्यार्थी विभिन्न संगठनों एवं व्यावसायिक क्षेत्रों का दौरा करेंगे और विभिन्न व्यवसायों में लगे व्यक्तियों से संपर्क करेंगे। ऐसा करने से उन्हें भविष्य में रोज़गार के संभावित क्षेत्रों से संबंधित व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त होगा।

Module 3.indd 86 27-11-2019 14:39:07

भाषा, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, कला, संगीत और कार्य अनुभव के शिक्षक उन विषयों से संबंधित कौशल-आधारित गतिविधियों को कराने में शामिल होंगे, जिन्हें वे पढ़ा रहे हैं। शिक्षण-अधिगम पद्धति अवलोकन और अभ्यास पर आधारित हो सकती है। डिज़ाइन, शिल्प और प्रौद्योगिकी सामान्य शिक्षा का हिस्सा बनेंगे। इससे प्रौद्योगिकी में करियर बनाने के लिए विद्यार्थियों की अधिक से अधिक संख्या आकर्षित करने में मदद मिलेगी। विषय संबद्ध शिक्षकों को शिक्षण का कार्य करने के लिए प्रशिक्षित किया जा सकता है। ये शिक्षक गतिविधि आधारित शिक्षण का प्रयोग करेंगे। इस प्रशिक्षण में सीखना, समस्या समाधान, सहकारी या टीम आधारित परियोजना, अभिव्यक्ति के विभिन्न रूपों की आवश्यकता का पाठ, इत्यादि आते हैं। परियोजना कार्य कई क्षेत्रों से संबंधित ज्ञान और कौशल को व्यक्त करते हैं। विद्यार्थी भविष्य के रोज़गार के संभावित क्षेत्रों से संबंधित व्यावहारिक ज्ञान और कौशल के लिए संगठनों का दौरा कर सकते हैं। विभिन्न व्यवसायों में लगे व्यक्तियों से भी संपर्क कर सकते हैं।

सरल और कठिन कौशल के व्यावसायिक मॉड्यूल, बच्चों को काम की दुनिया के आवश्यक पहलुओं को ज्ञात करने में सहयोग करेंगे। साथ-ही-साथ विद्यार्थियों को व्यावसायिक विषय या करियर विकल्प के चयन में भी सहयोग करेंगे। कौशल के माध्यम से बच्चे व्यक्तिगत और सामाजिक स्तर पर क्रियाशील बनने के लिए स्वभाव, दृष्टिकोण और सामाजिक क्षमताओं का विकास करेंगे। व्यावसायिक कौशल घटकों के लिए, सामान्य शिक्षा विषयों के पाठ्यक्रम में दिए गए विषयों पर आधारित गतिविधियों को पाठ्यक्रम के भाग के रूप में आयोजित किया जाएगा।

कक्षा 9वीं से 12वीं तक की व्यावसायिक शिक्षा

माध्यमिक स्तर (कक्षा 9वीं –12वीं) में एक व्यावसायिक विषय को सामान्य शिक्षा विषयों के साथ एक अतिरिक्त या अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाया जाता है। उच्च माध्यमिक स्तर (कक्षा 11वीं और 12वीं) में इसे अनिवार्य (वैकल्पिक) विषय के रूप में पढ़ाया जाता है। व्यावसायिक विषयों के पाठ्यक्रम को एक व्यवसाय या एक क्षेत्र में व्यवसाय की भूमिका के लिए राष्ट्रीय व्यवसाय मानक (एन.ओ.एस.) से जोड़ा जाता है। विद्यालयों द्वारा प्रत्येक सेक्शन में 40 विद्यार्थियों को दो व्यावसायिक विषयों में से एक को चुनने का अवसर दिया जाता है। 27 राज्यों/केंद्रशासित राज्यों में ऐसे 8, 433 स्कूल हैं, जहाँ पर समग्र शिक्षा के तहत व्यावसायिक विषयों को पढ़ने का मौका दिया जा रहा है। 55 कार्य भूमिकाओं को 18 क्षेत्रों में व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए व्यावसायिक अनुमोदित किया गया है।

इनपुट (उत्पादक सामग्री)

- आधारभूत व्यवस्था
- शिक्षक/प्रशिक्षक
- विद्यार्थी
- शिक्षण-अधिगम सामग्री

Module 3.indd 87 27-11-2019 14:39:07

प्रक्रिया

- नामांकन
- पाठ्यक्रम आदान-प्रदान
- नौकरी पर प्रशिक्षण
- आकलन और मूल्यांकन

आउटपुट (उत्पादन)

- प्रमाणित कुशल श्रमशक्ति

क्षेत्र

कुछ ऐसे क्षेत्र, जिन्हें व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम के माध्यम से स्कूल, व्यावसायिक विषयों के रूप में पढ़ने का अवसर विद्यार्थियों को प्राप्त करा रहे है, निम्न हैं —

क्रम सं.	क्षेत्र
1.	कृषि
2.	परिधान, रेडीमेड सामान और घरेलू फर्नीचर
3.	मोटर वाहन
4.	बैंकिंग, वित्तीय सेवाएँ तथा बीमा
5.	सौंदर्य और कल्याण
6.	भवन और निर्माण
7.	इलेक्ट्रॉनिक्स और हार्डवेयर
8.	स्वास्थ्य देखभाल
9.	सूचना प्रौद्योगिकी (आई.टी.) संबंधित सेवाएँ
10.	लॉजिस्टक
11.	मीडिया और मनोरंजन
12.	व्यवस्थित खुदरा
13.	प्लंबिंग (नल एवं पाइपों से संबंधित कार्य)
14.	विद्युत क्षेत्र
15.	निजी सुरक्षा
16.	दूरसंचार
17.	पर्यटन और आतिथ्य

Module 3.indd 88 27-11-2019 14:39:07

व्यावसायिक पाठ्यक्रमों का परिचय

व्यावसायिक पाठ्यक्रमों का चयन	राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा व्यावसायिक पाठ्यक्रमों का चयन स्थानीय और राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित कौशल आवश्यकताओं के मूल्यांकन पर आधारित है।
आधारभूत संरचना	विद्यार्थियों के प्रभावपूर्ण व्यावहारिक प्रशिक्षण को सुनिश्चित करने के लिए विद्यालयों में कक्षा-सह-प्रयोगशाला/कार्यशाला विकसित की जाती है। प्रयोगशालाएँ उपकरण और संसाधन विषय की आवश्यकताओं और वित्तीय सीमाओं पर आधारित होती हैं। प्रयोगशाला/कार्यशाला स्थापित करने के लिए उपकरण और सामग्री की सूची संबंधित क्षेत्र कौशल परिषद् के साथ पी.एस.एस.सी.आई.वी.ई. के परामर्श से प्रदान की जाती है।
विद्यार्थियों का नामांकन	व्यावसायिक शिक्षा में विशेष समूहों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए नामांकन अभियान, विशेष सुविधाओं का प्रावधान, अभिभावकों और समुदाय आधारित संगठन के साथ मिलकर काम करने की व्यवस्था का प्रावधान किया जा रहा है। व्यावसायिक शिक्षा के प्रति नकारात्मक रवैये को दूर करने के लिए जनसंपर्क माध्यमों (समाचार, रेडियो, इंटरनेट, आदि) से व्यापक जागरूकता, प्रचार अभियान एवं रैलियाँ की जा रही हैं, जिससे युवा विद्यार्थी व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की ओर आकर्षित हो रहे हैं।
व्यावसायिक मार्गदर्शन और परामर्श — छात्राओं के लिए विशेष परामर्श	सत्र के साथ विशेषज्ञों और परामर्शदाताओं को शामिल करके विद्यालयों में व्यावसायिक मार्गदर्शन और परामर्श अभियान का आयोजन किया जा रहा है।
व्यावसायिक शिक्षकों की नियुक्ति	व्यावसायिक पाठ्यक्रम व्यावसायिक शिक्षकों/प्रशिक्षकों की मदद से संचालित किए जाते हैं। इन शिक्षकों/प्रशिक्षकों की नियुक्ति राज्य सरकार या एन.एस.डी.सी. द्वारा व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाताओं (वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइडर्स) के साथ-साथ अतिथि शिक्षक की ज़रूरत के आधार पर की जाती हैं। पी.एस.एस.सी.आई.वी.ई. व्यावसायिक शिक्षकों की भर्ती के लिए योग्यता मापदंड की सिफ़ारिश करता है। सामान्य नियमों, नियुक्ति के मानकों, सेवा शर्तों, मूल्यांकन हेतु मापदंड और प्रक्रिया, मान्यता और पुरस्कारों, इत्यादि को सभी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में कार्यान्वित किया जा रहा है।

व्यावसायिक पाठ्यक्रम

अधिगम आधारित परिणाम	व्यावसायिक पाठ्यक्रम, सीखने के परिणामों पर आधारित हैं, जिसमें शामिल है — (i) रोज़गार कौशल और (ii) व्यावसायिक कौशल। रोज़गार कौशल मॉड्यूल में संचार कौशल, स्व-प्रबंधन कौशल, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी कौशल, उद्यमिता कौशल और हरित कौशल शामिल है। संचार कौशल स्व-प्रबंधन कौशल सूचना और संचार प्रौद्योगिकी कौशल उद्यमिता कौशल हरित कौशल

Module 3.indd 89 27-11-2019 14:39:07

राष्ट्रीय विकास एजेंसी का संचालन व्यवसाय के मानक	शिक्षा के परिणाम विभिन्न क्षेत्रों में नौकरी की भूमिकाओं के योग्यता पैक (Qualification Pack) में दिए गए राष्ट्रीय व्यवसाय मानक (NOSs)* पर आधारित हैं।
राष्ट्रीय पाठ्यक्रम और पाठ्यक्रम विकास संस्था	केंद्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान, भोपाल (पी.एस.एस.सी.आई.वी.ई.) द्वारा पाठ्यक्रमों के विकास का कार्य किया जा रहा है। शिक्षण सामग्री में विद्यार्थियों की पाठ्यपुस्तकें, शिक्षक-पुस्तिकाएँ और ई-शिक्षण सामग्री शामिल हैं। इन पाठ्यपुस्तकों को राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् (एन.सी.आर.ई.आर.टी.) द्वारा प्रकाशित किया गया है। ये पुस्तकें एन.सी.ई.आर.टी. और पी.एस.एस.सी.आई.वी.ई. की वेबसाइट पर भी उपलब्ध हैं।

प्रमुख पदाधिकारियों की क्षमताओं का निर्माण

राज्य शिक्षा विभाग और बोर्ड के अधिकारियों के लिए उन्मुखीकरण कार्यक्रम	राज्य और ज़िला स्तर पर शिक्षा विभाग के अधिकारी, प्रधानाचार्य और व्यावसायिक समन्वयक राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में व्यावसायिक शिक्षा के प्रभावी कार्यान्वयन पर केंद्रित किए गए हैं।
व्यावसायिक शिक्षकों/प्रशिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम	पी.एस.एस.सी.आई.वी.ई. शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन के लिए प्रमुख समन्वय एजेंसी के रूप में कार्य करता है। नये नियुक्त हुए व्यावसायिक शिक्षकों के लिए 10 दिनों का एक प्रशिक्षण कार्यक्रम राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा आयोजित किया जाता है। व्यावसायिक शिक्षा के विषयों और सामग्री से संबंधित पहलुओं पर पी.एस.एस.सी.आई.वी.ई. और राज्य शिक्षा विभागों द्वारा शिक्षाशास्त्र पर पाँच दिनों का प्रशिक्षण कार्यक्रम सभी शिक्षकों/कौशल प्रशिक्षकों के लिए आयोजित किया जाता है। पी.एस.एस.सी.आई.वी.ई. और क्षेत्र कौशल परिषद् के सहयोग से राज्य कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। संचार कौशल, स्व-प्रबंधन कौशल, आई.सी.टी. कौशल, उद्यमिता कौशल, हरित कौशल, व्यावसायिक मार्गदर्शन और परामर्श, आकलन और मूल्यांकन आदि विषयों पर पी.एस.एस.सी.आई.वी.ई. और राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। व्यावसायिक शिक्षकों को शिक्षण के दौरान ई-लर्निंग सामग्री, निर्देशात्मक वीडियो फ़िल्म और परस्पर कंप्यूटर सहायक कार्यक्रमों का उपयोग करने और शिक्षार्थियों के विभिन्न प्रकार के अधिगम अनुभव प्रदान करने के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है। उद्योग विशेषज्ञों और क्षेत्र कौशल परिषदों की सहायता से ज्ञान एवं विशिष्ट दक्षताओं के उन्नयन के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। प्रशिक्षण की आवश्यकता के विश्लेषण और प्रशिक्षण की गुणवत्ता में सुधार के लिए शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में पूर्व-परीक्षण और पश्च-परीक्षण आयोजित किया जाता है।

* राष्ट्रीय व्यवसाय मानक (एन.ओ.एस.) व्यक्तिगत रूप से कार्यस्थल में एक कार्य/कृत्य को पूरा करने के लिए, आवश्यक जिस ज्ञान और समझ के साथ कार्य करना चाहिए, उसमें प्रदर्शन के मानक को निर्दिष्ट करता है। इन्हें एन.सी.ई.आर.टी. और पी.एस.एस.सी.आई.वी.ई. की वेबसाइट पर उपलब्ध कराया गया है।

Module 3.indd 90 27-11-2019 14:39:07

राष्ट्रीय व्यवसाय मानक कार्यस्थल में एक समारोह को पूरा करने के दौरान किसी व्यक्ति को प्राप्त करने के लिए आवश्यक ज्ञान और समझ के साथ प्रदर्शन के मानक को निर्दिष्ट करता है।

पाठ्यक्रम का आदान-प्रदान

पाठ्यक्रम को कक्षा, प्रयोगशाला या कार्यशाला और अंतःकार्य परीक्षण में स्थानांतरित किया जा रहा है। विद्यार्थियों का उद्योगों और वास्तविक कार्यस्थलों में दौरा कराया जाता है, जिससे वे किसी भी कार्य को करने में लगने वाले वास्तविक समय को समझ सकें और इसके अनुसार काम का चुनाव कर सकें। उद्यमिता विषय पर शिक्षकों और विद्यार्थियों के लिए विशेष प्रशिक्षण कक्षाएँ आयोजित की जाती हैं। इसके अलावा विद्यार्थियों को अपने स्वयं के उद्यम स्थापित करने के लिए आवश्यक मार्गदर्शन भी दिया जाता है। उद्योग और विशेष संगठन/संस्थान विशेषज्ञों, मूल्यांकनकर्ताओं द्वारा कौशल प्रशिक्षण के संदर्भ में प्रशिक्षण का समर्थन करते हैं तथा साथ-ही-साथ प्रशिक्षुओं के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण भी प्रदान करते हैं। इंटर्नशिप या कार्यस्थल पर प्रशिक्षण पाठ्यक्रम रूपांतरण का एक अभिन्न अंग है। विद्यार्थियों को कम-से-कम 80 घंटे के कार्यस्थल अधिगम या ऑन-द-जॉब लर्निंग को पूरा करने की आवश्यकता होती है।

व्यावसायिक शिक्षक को एक व्यवसाय या उद्यम को प्रभावी ढंग से और कुशलतापूर्वक प्रदर्शन और संचालन के लिए संचार कौशल, आई.सी.टी. कौशल, सामान्य कौशल, व्यावसायिक कौशल और आवश्यक मूल्यों का ज्ञान होना चाहिए। इस ज्ञान के सहारे वह वास्तविक व्यावसायिक लक्ष्य या करियर प्राप्ति की ओर विद्यार्थियों को प्रासंगिक शिक्षण अनुभव प्रदान कर सकता है। प्रभावी संचार क्षमता एक व्यावसायिक शिक्षक को प्रभावी ढंग से शिक्षण सहायक सामग्री और पाठ्यक्रम के रूपांतरण में मदद करेगी। व्यावसायिक शिक्षकों को दृश्य-श्रव्य सामग्री के साथ प्रशिक्षण के पूरक और प्रभावी पाठ्यक्रम रूपांतरण के माध्यम से विद्यार्थी अधिगम हेतु विभिन्न अनुभव प्रदान करने के लिए निर्देशात्मक वीडियो-फ़िल्मों और कंप्यूटर सहायक कार्यक्रमों का उपयोग करना चाहिए।

व्यावसायिक शिक्षक की भूमिका और कार्य

- शिक्षण और प्रशिक्षण सत्र की योजना तैयार करना।
- सामग्री ज्ञान, व्यावहारिक कौशल, संप्रेषण कौशल, प्रस्तुति कौशल, संख्यात्मक कौशल, सामाजिक कौशल, शिक्षा कौशल तथा मूल्यांकन कौशल आदि दक्षताओं का प्रदर्शन करना।
- मल्टीमीडिया सहित विभिन्न प्रकार की शिक्षण और प्रशिक्षण सामग्री का उपयोग करना।
- विद्यार्थियों के प्रति मूल्यों, कार्य नैतिकता और सहानुभूति का प्रदर्शन करना।
- विद्यार्थियों को सुरक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण के प्रति जागरूक करना।

Module 3.indd 91 27-11-2019 14:39:07

- विद्यार्थियों के सभी प्रकार के रिकॉर्ड (उपस्थिति रिकॉर्ड, प्रगति रिपोर्ट, नौकरी प्रशिक्षण रिकॉर्ड, मूल्यांकन रिपोर्ट, क्षेत्र निरीक्षण रिकॉर्ड, लॉग बुक, गैर-स्कूली उपलब्धियों के रिकॉर्ड, आदि) को तैयार रखना।
- निरंतर विद्यार्थियों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करना और प्रतिक्रिया प्रदान करना।
- विद्यार्थियों को सीखने और उन्हें स्वयं निर्देशित शिक्षार्थी बनने के लिए प्रोत्साहित करना।
- विद्यार्थियों की दक्षता का आकलन करना और उनके प्रदर्शन का मूल्यांकन करना।
- नौकरी के दौरान प्रशिक्षण और प्रशिक्षण के लिए व्यावसायिक विद्यार्थियों की नियुक्ति में योगदान करना।
- क्रियात्मक अनुसंधान का संचालन करना।
- प्रशिक्षण कार्यक्रमों, सेमिनारों, सम्मेलनों, कार्यशालाओं आदि में भाग लेना।

शिक्षार्थियों का आकलन तथा मूल्यांकन

शिक्षार्थियों द्वारा ग्रहण की गई दक्षताओं का आकलन और प्रमाणन संबंधित राष्ट्रीय और राज्य परीक्षा बोर्डों द्वारा किया जाता है। इन बोर्डों से संबंधित क्षेत्र कौशल परिषद् के साथ-साथ विद्यालय भी संबद्ध होते हैं। कक्षा 10वीं और 12वीं में बाह्य आकलन और मूल्यांकन किया जाता है। परीक्षा में ज्ञान का लिखित आकलन और रोज़गार/व्यवसाय में व्यावहारिक कौशल दोनों ही शामिल हैं। कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थी पोर्टफ़ोलियो तैयार करते हैं। पोर्टफ़ोलियो का मूल्यांकन परीक्षा की योजना के अनुसार किया जाता है। सफल अभ्यर्थियों को परीक्षा बोर्डों द्वारा प्रमाण-पत्र के अलावा, एन.एस.डी.सी. और एस.एस.सी. द्वारा एक अलग से प्रमाण-पत्र भी दिया जाता है।

शिक्षार्थियों की तीव्र गतिशीलता

व्यावसायिक शिक्षा में तीव्र प्रगति को डिप्लोमा, एडवांस डिप्लोमा और डिग्री पाठ्यक्रमों के रूप में प्रस्तुत व्यावसायिक पाठ्यक्रमों तक निरंतर पहुँच के माध्यम से सुदृढ़ किया गया है। व्यावसायिक शिक्षा में स्नातक कार्यक्रम को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा डिज़ाइन किया गया है। यह स्नातक कार्यक्रम किसी भी पेशे से संबंधित कौशल का विवेकपूर्ण मिश्रण प्रदान करता है। यह डिप्लोमा, एडवांस डिप्लोमा और डिग्री के लिए निकास बिंदुओं के साथ सामान्य शिक्षा की उपयुक्त सामग्री भी प्रदान करता है। यह पाठ्यक्रम 40:60 के अनुपात में सामान्य शिक्षा घटक और कौशल शिक्षा घटक का एक उपयुक्त मिश्रण है। विद्यालय से एक व्यावसायिक पाठ्यक्रम उत्तीर्ण विद्यार्थी पॉलीटेक्निक, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों और उच्च शिक्षा संस्थानों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्राप्त कर सकता है, जिसमें बैचलर ऑफ वोकेशन (बी-वोक) और मास्टर्स इन वोकेशन (एम-वोक) शामिल हैं।

Module 3.indd 92 27-11-2019 14:39:07

प्रशिक्षु प्रशिक्षण

शिक्षुता एक उद्योग/संगठन और एक कौशल सीखने वाले इच्छुक व्यक्ति के बीच का अनुबंध है कि प्रशिक्षु (प्रशिक्षु प्रशिक्षण प्रदाता या संभावित नियोक्ता से) सीखना चाहता है। प्रशिक्षु को उनके कार्यक्षेत्र में नवीनतम अनुप्रयोगों, प्रक्रियाओं और कार्यप्रणाली के बारे में सिखाया जाता है। यह स्कूल/कॉलेज के विद्यार्थियों के लिए कक्षा-कक्ष से काम तक के माहौल के लिए एक संक्रमण चरण के रूप में भी कार्य करता है। प्रशिक्षु, प्रशिक्षण के दौरान सरल कौशल, कार्य संस्कृति, नैतिकता और संगठनात्मक व्यवहार भी सीखते हैं।

राष्ट्रीय प्रशिक्षुणता प्रशिक्षण योजना (National Apprenticeship Training, NATS) एक वर्ष का कार्यक्रम है जो तकनीकी रूप से योग्य युवाओं को उनके कार्यक्षेत्र में आवश्यक व्यावहारिक ज्ञान और कौशल प्रदान करता है। प्रशिक्षुओं के लिए 126 विषय-क्षेत्र हैं, जिसके लिए प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। प्रशिक्षुओं को उनके कार्यस्थल पर संगठनों द्वारा प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षुणता की अवधि के दौरान, प्रशिक्षुओं को एक निर्धारित राशि का भुगतान किया जाता है। इस राशि का 50 प्रतिशत भाग भारत सरकार द्वारा प्रतिपूर्ति किया जाता है। प्रशिक्षण अवधि के अंत में प्रशिक्षुओं को भारत सरकार द्वारा प्रमाण-पत्र दिया जाता है जिसे रोज़गार पंजीयन कार्यालय से पंजीकृत करवाकर अपने अनुभव और योग्यता के आधार पर पूरे भारत में कहीं भी नौकरी करने के लिए योग्य माना जाता है। प्रशिक्षुओं को केंद्रीय, राज्य और निजी संगठनों में प्रशिक्षण के लिए रखा जाता है। इनके पास उत्कृष्ट प्रशिक्षण सुविधाएँ होती हैं।

प्रशिक्षु अधिनियम, 1961 (संशोधन 1973, 1986 और 2014 में)	प्रशिक्षु अधिनियम, 1961 को उद्योगों में प्रशिक्षुओं के प्रशिक्षण कार्यक्रम को विनियमित करने के उद्देश्य से लागू किया गया था (उद्योग का अर्थ किसी भी उद्योग या व्यवसाय से हैं, जिसमें इंजीनियरिंग, गैर-इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी या किसी भी व्यावसायिक पाठ्यक्रम में से कोई भी व्यापार, व्यवसाय या व्यवसाय क्षेत्र शामिल हो सकता है)। अधिनियम को 1973 और 1986 में संशोधित किया गया, जिसके तहत इसके दायरे में क्रमशः स्नातक, तकनीशियन और तकनीशियन (व्यावसायिक) प्रशिक्षुओं का प्रशिक्षण शामिल था। वैकल्पिक व्यापार का अर्थ है कि इसे किसी भी व्यापार या व्यवसाय या इंजीनियरिंग, गैर-इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी या किसी भी व्यावसायिक पाठ्यक्रम में किसी भी विषय-क्षेत्र के रूप में इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए नियोक्ता द्वारा निर्धारित किया जा सकता है। प्रशिक्षुओं की चार श्रेणियाँ हैं — व्यापार प्रशिक्षु, स्नातक, तकनीशियन और तकनीशियन (व्यावसायिक) प्रशिक्षु। व्यापार प्रशिक्षुओं की योग्यताएँ कक्षा 6वीं से 12वीं पास (10 + 2) प्रणाली से भिन्न होती है। प्रशिक्षण की अवधि 6 महीने से 4 वर्ष तक होती है।
प्रशिक्षुणता अधिनियम, 1961 का कार्यान्वयन	प्रशिक्षुणता प्रशिक्षण योजना को चार प्रशिक्षुणता प्रशिक्षण क्षेत्रीय बोर्ड (बी.ओ.ए.टी.) मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और कानपुर में कार्यान्वित किया जा रहा है। राज्य शिक्षा विभाग और ज़िला शिक्षा कार्यालय विद्यार्थियों के प्रशिक्षण के लिए बी.ओ.ए.टी.एस. के साथ संपर्क स्थापित करता है।

Module 3.indd 93 27-11-2019 14:39:07

प्रशिक्षुणता प्रशिक्षण के लिए न्यूनतम आयु	अधिनियम में प्रशिक्षु के रूप में संलग्न होने के लिए न्यूनतम आयु 14 वर्ष निर्धारित है और बड़े उद्योगों से संबंधित नामित ट्रेडों में यह 18 वर्ष है।
प्रशिक्षुओं की संख्या	नामित व्यापार और वैकल्पिक व्यापार के लिए नियोक्ता द्वारा नियुक्त किए जाने वाले प्रशिक्षुओं की संख्या केंद्र सरकार निर्धारित करती है।
बुनियादी प्रशिक्षण	इस अधिनियम में कहा गया है कि पूर्व में संस्थागत प्रशिक्षण प्राप्त नहीं करने वाले व्यापार प्रशिक्षुओं को व्यावहारिक प्रशिक्षण के लिए कार्यशाला में प्रवेश से पहले बुनियादी प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। विधेयक में निर्दिष्ट किया गया है कि इस तरह के प्रशिक्षण में किसी भी संस्थान में पर्याप्त सुविधाएँ प्रदान की जा सकती हैं।

कार्यक्रम प्रबंधन इकाई

कुछ राज्यों द्वारा दिशानिर्देशों और आदेशों के आधार पर व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम के प्रभावी कार्यान्वयन और निगरानी के लिए राज्य स्तर पर कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (पी.एम.यू.) की स्थापना की गई है। विद्यालयी शिक्षा के व्यावसायीकरण की योजना की उचित निगरानी और मूल्यांकन के लिए एम.एच.आर.डी. द्वारा प्रबंधन सूचना प्रणाली (एम.आई.एस.) बनायी गई है।

उत्तीर्ण व्यावसायिक की नियुक्ति

क्षेत्रीय कौशल परिषद् के सहयोग से राज्यों द्वारा नियोक्ताओं के साथ बातचीत के लिए विद्यार्थियों को एक मंच प्रदान करने तथा शिक्षा और रोज़गार के लिए उपलब्ध सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए रोज़गार मेले का आयोजन किया जाता है।

शैक्षिक ऋण

व्यावसायिक प्रशिक्षण और अध्ययन के लिए शैक्षिक ऋण में ट्यूशन/पाठ्यक्रम शुल्क, परीक्षा/पुस्तकालय/प्रयोगशाला शुल्क, पुस्तकों की खरीद, उपकरण और सामग्री और सुरक्षा जमा शामिल है। बैंक केंद्रीय अथवा राज्य शिक्षा बोर्डों या कॉलेजों द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों से संबद्ध डिप्लोमा एवं डिग्री का पाठ्यक्रम चलाने वाले कॉलेजों के लिए धन उपलब्ध कराता है। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आई.टी.आई.) के पाठ्यक्रमों, पॉलिटेक्निक, प्रशिक्षण भागीदारों से जुड़े हुए राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एन.एस.डी.सी.) और क्षेत्रीय कौशल परिषद् से संबद्ध अन्य प्रशिक्षण संगठनों, राज्य कौशल परिषद् जैसे संगठन से जारी किए गए प्रमाण-पत्र; डिप्लोमा; डिग्री के लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबद्ध हैं। एन.एस.क्यू.एफ. के अंतर्गत आने वाले किसी संगठन से पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण का प्रमाण-पत्र, डिप्लोमा या डिग्री के रूप में होना चाहिए। सहायक के तौर पर या तीसरे पक्ष के रूप में किसी की गारंटी की कोई आवश्यकता नहीं है। विद्यार्थी के साथ माता-पिता/अभिभावक ऋण दस्तावेजों को निष्पादित करेंगे, क्योंकि उधारकर्ता

Module 3.indd 94 27-11-2019 14:39:07

और पति/पत्नी को संयुक्त रूप से माता-पिता/अभिभावक के अलावा आवश्यकताओं के अनुरूप सह-आवेदक के रूप में शामिल किया जाएगा।

गतिविधि 1
भूमिका निभाना

विषय

व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण का महत्व

स्थिति

एक लड़की अपना जन्मदिन मनाती है। उस दिन कुछ गड़बड़ी के कारण पूरा बाज़ार बंद था। उसके एक दोस्त ने बेकरी में वोकेशनल कोर्स किया था। उसने स्वेच्छा से लड़की के लिए एक केक तैयार किया।

प्रक्रिया

- प्रत्येक समूह में तीन विद्यार्थियों के साथ समूह निर्माण।
- भूमिका निभाने के लिए पात्रों की पहचान।
- तीन लोगों से बातचीत का काम करें।
- यह चर्चा करें कि आपने इससे क्या सीखा।

स्व-आकलन

1. किन्हीं भी तीन ऐसी चुनौतियों का वर्णन करें जिनके बारे में आपको लगता है कि वह व्यावसायिक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण है।
2. किसी व्यावसायिक शिक्षक की पाँच प्रमुख भूमिकाएँ और कार्यों के बारे में लिखें।
3. संक्षेप में (50 शब्दों में) किन्हीं भी ऐसे तीन कौशलों का वर्णन करें जो एक शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों को व्यावसायिक ज्ञान और कौशल प्रदान करते समय दिया जाना चाहिए।

परिभाषाएँ और संक्षिप्तियाँ

व्यावसायिक शिक्षा को 'सामान्य ज्ञान, संबंधित प्रौद्योगिकियों और विज्ञानों के अध्ययन, व्यावहारिक कौशल के अर्जन, जानकारी, आर्थिक और सामाजिक जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में व्यवसायों से संबंधित आचरण और समझ के अलावा शैक्षिक प्रक्रिया के सभी रूपों और स्तरों के रूप में वर्णित किया गया है।"

(यूनेस्को)

व्यावसायिक शिक्षा के दो आयाम हैं— (1) विद्यालयी शिक्षा के दस वर्षों में सामान्य शिक्षा के साथ-साथ बुनियादी तकनीकी कौशल के विकास का प्रावधान और (2) उच्चतर माध्यमिक स्तर पर सामान्य और विशेष तकनीकी कौशल के विकास के लिए प्रावधान तथा माध्यमिकोत्तर स्तर पर व्यक्ति के रोज़गार में वृद्धि के लिए 'काम की दुनिया' तैयार करना।

(यूनेस्को, 1985)

Module 3.indd 95 27-11-2019 14:39:07

संक्षिप्त रूप	
एम.एच.आर.डी.	मानव संसाधन विकास मंत्रालय
एम.एस.डी.ई.	कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय
एन.सी.ई.आर.टी.	राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्
पी.एस.एस.सी.आई.वी.ई.	पंडित सुंदरलाल शर्मा केंद्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान
एन.ओ.एस.	राष्ट्रीय व्यवसाय मानक
एस.एस.सी.	सेक्टर स्किल काउंसिल
ए.टी	अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग
एन.ए.टी.एस.	राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण योजना
जी.ओ.आई.	भारत सरकार

संदर्भ

अज्ञात (Anonymous). 1937. *शैक्षिक पुनर्निर्माण — हिंदुस्तानी तालीमी संघ. सेवाग्राम*, वर्धा.

मानव संसाधन विकास मंत्रालय. 1986. *राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 और प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1986*. भारत सरकार, नयी दिल्ली.

———. 1988. *माध्यमिक शिक्षा की व्यवसायिकता पर केंद्र प्रायोजित योजना*. भारत सरकार, नयी दिल्ली.

———. 1992 बी. *शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति, 1986* (1992 में संशोधित). भारत सरकार, नयी दिल्ली.

———. 1993 बी. *निम्न माध्यमिक स्तर पर पूर्व-व्यावसायिक शिक्षा की योजना*. भारत सरकार, नयी दिल्ली.

रा.शै.अ.प्र.प. 1975. *10 साल के स्कूल के लिए पाठ्यक्रम — एक रूपरेखा*. नयी दिल्ली.

———. 1976. *उच्चतर माध्यमिक शिक्षा और इसका व्यावसायीकरण*. नयी दिल्ली.

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय. 1966. *शिक्षा और राष्ट्रीय विकास — शिक्षा आयोग की एक रिपोर्ट 1964 – 1966*, भारत सरकार, नयी दिल्ली.

वेबसाइट्स

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड — http://cbse.nic.in

मानव संसाधन और विकास मंत्रालय — http://mhrd.gov.in/vocational-education- overview

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय — http://www.skilldevelopment.gov.in/

राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण योजना — http://mhrdnats.gov.in/

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् — http://ncert.nic.in/

राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान — http://www.nuepa.org

राष्ट्रीय योग्यता पंजीयन — http://nqr.gov.in/

राष्ट्रीय कौशल विकास निगम — https://www.nsdcindia.org/

पं. सुंदरलाल शर्मा केंद्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान — http://www.psscive.ac.in/

Module 3.indd 96 27-11-2019 14:39:07